दिनांक	कार्यवाही
1.09.22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित वास्ते बहसबाजा प्रस्ताव हेतु पत्रावली दिनांक 28.09.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) ... (भीलवाड़ा)
28.09.22	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित हुए। आज पीठासीन अधिकारी ... अन्य राजकार्य में व्यस्तता/... है। अतः पत्रावली ... 10.10.22 को पेश हो। रीडर न्यायालय एस.डी.ओ., ...पुर
10.10.22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित बहसबाजा प्रस्ताव प्रार्थना को शामिल किया गया। वकीलवादी ने बहस करनी चाही। वकीलवादी की बहस सुनी गयी वास्ते आदेश हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 17.10.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
13.10.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी को वाद पत्र वापिस लिये बाबत लिखित इकरार के लिखाया जाकर खा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 80 / 2021
दायर दिनांक :– 01.10.2021

अनवान

सकाम सिंह पिता हरनाथ मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर

वादी ......

बनाम

1. काली देवी पत्नि सोहनलाल मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
2. शिवराज पिता भूराराम मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
3. शंकर पिता हरदेव मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
4. महावीर पिता शंकरलाल मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
5. मन्जु पिता शंकरलाल मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
6. राखी पत्नि ओमप्रकाश मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
7. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 92ए आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री रितेश कुमार कांटियां, वकील वादी

:: निर्णय :: दिनांक 17.10.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी जारी की गई थी जिसके अनुसार तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया था कि ग्राम कुराडिया प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 521 कुल किता 01 रकबा 04–06 बीघा में वादी व प्रतिवादीगण के हक व हिस्सा का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नियम 20 में दिये गये अन्य सिद्वान्तो के साथ साथ यथासंभव कब्जे अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे, जिसकी पालना मे तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर द्वारा जरिये पत्र दिनांक 28.09.2022 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरूद्व पूर्व मे एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई एव पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादी भी सहमत है। मेरी विनम्र राय में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी जारी किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Cnimay/rider

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त प्रार्थना...

फाईनल डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है कि :–

ग्राम कुराडिया प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म	लगान (रुपये)
1	सकाम सिंह पिता हरनाथ मीणा सा. देह खातेदार	521 में से	0.1699	बारानी ।	0.73
		कुल किता 01	0.1699		0.73
2.	कमला पत्नि शंकरलाल मीणा 43/1950 सा. देह खातेदार, काली देवी पत्नि सोहनलाल मीणा 11/65 सा. देह खातेदार, मन्जु पिता शंकरलाल मीणा 43/325 सा. देह खातेदार, महावीर पिता शंकरलाल मीणा 43/325 सा. देह खातेदार, राखी पत्नि ओमप्रकाश मीणा 43/130 सा. देह खातेदार, रामराज पुत्र शंकरलाल मीणा 43/1950 सा. देह खातेदार, शिवराज पिता भूराराम मीणा 11/65 सा. देह खातेदार, सरिता पुत्री शंकरलाल मीणा 43/1950 सा. देह खातेदार,	521 में से	0.5262	बारानी ।	2.28
		कुल किता 01	0.5262		2.28

आदेश आज दिनांक 17.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

सकाम सिंह पिता हरनाथ मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर

वादी........

बनाम

1. काली देवी पत्नि सोहनलाल मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
2. शिवराज पिता भूराराम मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
3. शंकर पिता हरदेव मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
4. महावीर पिता शंकरलाल मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
5. मन्जु पिता शंकरलाल मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
6. राखी पत्नि ओमप्रकाश मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
7. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत – 53, 92ए आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 80 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री रितेश कुमार कांटियां का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है कि :–

ग्राम कुराडिया प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा(हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रूपये)
1	सकाम सिंह पिता हरनाथ मीणा सा. देह खातेदार	521 में से	0.1699	बारानी I	0.73
		कुल किता 01	0.1699		0.73
2.	कमला पत्नि शंकरलाल मीणा 43 / 1950 सा. देह खातेदार, काली देवी पत्नि सोहनलाल मीणा 11 / 65 सा. देह खातेदार, मन्जु पिता शंकरलाल मीणा 43 / 325 सा. देह खातेदार, महावीर पिता शंकरलाल मीणा 43 / 325 सा. देह खातेदार, राखी पत्नि ओमप्रकाश मीणा 43 / 130 सा. देह खातेदार, रामराज पुत्र शंकरलाल मीणा 43 / 1950 सा. देह खातेदार, शिवराज पिता भूराराम मीणा 11 / 65 सा. देह खातेदार, सरिता पुत्री शंकरलाल मीणा 43 / 1950 सा. देह खातेदार	521 में से	0.5262	बारानी I	2.28
		कुल किता 01	0.5262		2.28

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग–2 दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.10.2022

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner